

अनुक्रमणिका

1.	अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रियों के लिए प्रेषण सुविधाएं
2.	अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषाएं
3.	चालू आय का विप्रेषण
4.	गैर-भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रियों द्वारा परिसंपत्तियों का प्रेषण
5.	अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा परिसंपत्तियों का प्रेषण
6.	अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा से खरीदी गई आवासीय संपत्ति की बिक्री आय का प्रत्यावर्तन
7.	विद्यार्थियों के लिए सुविधा
8.	आयकर समाशोधन
9.	अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड
	संलग्नक-1 (रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियां)
	संलग्नक-1 (प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश)
	परिशिष्ट
	नोट

<p>1.अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रियों के लिए प्रेषण सुविधाएं</p>	<p>भारत में निवासी या भारत के बाहर के व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर की परिसंपत्ति के अंतरण के दिशानिर्देश और इन अधिसूचनाओं से संबंधित संशोधन मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फे मा 13/2000-आरबी और फेमा 21/2000 आरबी दोनों में दिए गए हैं। तदनुसार, भारत में निवासी या भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में धारित पूंजी परिसंपत्तियों के प्रेषण के लिए, अधिनियम या अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमों और विनियमों में दी गई सीमा को छोड़कर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता है।</p>
<p>2. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषाएं</p>	<p>अनिवासी भारतीय की परिभाषा भारत से बाहर रहनेवाला व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। मई 3, 2000 की फेमा अधिसूचना सं.13 के विनियम 2 के अनुसार, अनिवासी भारतीय का अर्थ भारत से बाहर रहनेवाला वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है। भारतीय मूल के व्यक्ति का अर्थ बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान से इतर किसी देश का नागरिक, जिसके पास(क) किसी समय भारतीय पासपोर्ट था अथवा (ख) वह अथवा उसके माता पिता दोनों अथवा उसके दादा-दादी में से कोई एक भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के नाते भारतीय नागरिक थे अथवा (ग) वह व्यक्ति किसी भारतीय का पति / पत्नी है अथवा (क) अथवा (ख) में उल्लिखित व्यक्ति है।</p>
<p>3.चालू आय का प्रेषण</p>	<p>3.1 सनदी लेखाकार द्वारा दिया गया उचित प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि प्रेषित की जानेवाली राशि प्रेषण के लिए पात्र है और कि लागू कर का भुगतान किया गया है/उनके लिए प्रावधान किया गया है, के आधार पर एनआरओ खाते नहीं रखनेवाले अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति भी, किराए, लाभांश, पेंशन, ब्याज जैसे चालू आय का प्रेषण मुक्त रूप से कर सकते हैं।</p> <p>3.2 अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को अपने अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में चालू आय को जमा करने का विकल्प है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि जमा अनिवासी खाता धारक के चालू आय को दर्शाता है तथा उस पर आयकर की कटौती की गई है/ उसका प्रावधान किया गया है।</p>

<p>4. गैर भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिक द्वारा परिसंपत्ति का प्रेषण</p>	<p>4.1 गैर भारतीय मूल का विदेशी राष्ट्रिक, जो भारत में नौकरी से सेवा निवृत्त हुआ है या जिसने भारत में निवासी व्यक्ति से विरासत में परिसंपत्ति प्राप्त की है या जो भारत में निवासी भारतीय नागरिक की विधवा है, वह परिसंपत्ति के अधिग्रहण /विरासत में प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक अक्टूबर 9, 2002 के परिपत्र सं.10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषणकर्ता के वचन पत्र और सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में अधिकतम एक मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि प्रेषित कर सकता है ।</p> <p>4.2 ये प्रेषण सुविधाएं नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है ।</p>
<p>5. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा परिसंपत्तियों का प्रेषण</p>	<p>5.1 अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति, सभी वास्तविक प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी के संतुष्ट होने पर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अक्टूबर 9, 2002 के परिपत्र सं.10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषणकर्ता द्वारा एक वचन पत्र और सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर अपने अनिवासी (सामान्य) रुपया (एनआरओ) खाता की शेष राशि/परिसंपत्तियों (उत्तराधिकार अथवा समझौते में अधिगृहीत परिसंपत्तियों सहित) की बिक्री से प्राप्त राशि से प्रति वित्तीय वर्ष एक मिलियन अमरीकी डालर की राशि भेज सकता है ।</p> <p>5.2 अनिवासी भारतीय मूल का व्यक्ति रुपया निधि से अथवा उपर्युक्त पैरा 2.1 में दर्शाए अनुसार भारत के निवासी व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा खरीदी गयी अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय का प्रेषण बगैर किसी अवरुद्धता अवधि के कर सकता है ।</p> <p>5.3 विरासत या वसीयत या हस्तांतरण(सेटलमेंट) के रूप में अधिगृहीत परिसंपत्तियों की बिक्री आय जहां कोई अवरुद्धता अवधि नहीं है, के प्रेषण के संबंध में, अनिवासी भारतीय /भारतीय मूल का व्यक्ति परिसंपत्तियों के विरासत या वसीयत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा एक वचनपत्र और सनदी लेखाकार द्वारा एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे। हस्तांतरण भी माता पिता से विरासत में प्राप्ति का एक तरीका है फर्क सिर्फ</p>

	<p>इतना है कि हस्तांतरण के तहत मालिक/ माता-पिता की मृत्यु पर संपत्ति बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया / बाधा के लाभार्थी को मिल जाती है और प्रोबेट आदि के लिए आवेदन करने के विलंब और असुविधा से बचने में सहायता करती है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि संपत्ति में आजीवन हित न रखते हुए सेटलमेंट किया जाता है तो, यह उपहार के रूप में नियमित हस्तांतरण के बराबर होगा। अतः यदि बगैर निपटानकर्ता के आजीवन हित के सेटलमेंट के माध्यम से अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करता है तो, इसे उपहार द्वारा हस्तांतरण माना जाए और ऐसी संपत्ति की बिक्री आय के प्रेषण एनआरओ खाते में शेष के प्रेषण संबंधी वर्तमान अनुदेशों से नियंत्रित होंगे।</p> <p>5.4(क) अचल संपत्ति की बिक्री आय के संबंध में प्रेषण की सुविधा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, इरान, नेपाल और भूटान के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री आय के प्रेषण की सुविधा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है।</p>
<p>6. अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा से खरीदे गए रिहायशी संपत्ति की बिक्री आय का प्रत्यावर्तन</p>	<p>6.1 अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा खरीदे गये रिहायशी संपत्ति की बिक्री आय का प्रत्यावर्तन अचल संपत्ति के लिए बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा में चुकाई गई राशि तक अनुमत है। यह सुविधा ऐसी दो संपत्तियों तक प्रतिबंधित है।</p> <p>6.2 प्राधिकृत व्यापारी बैंक फ्लैटों /प्लाटों के आबंटन न होने/ रिहायशी/ वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद की बुकिंग/ डील के रद्द होने के कारण मकान बनानेवाले एजेंसियों/ विक्रेताओं द्वारा आवेदन / बयाना राशि / क्रय प्रतिफल की धनवापसी को दर्शानेवाली राशियों, यदि कोई ब्याज हो, तो उसके साथ (उस पर देय आयकर का निवल) के प्रत्यावर्तन की अनुमति दे सकता है, बशर्ते मूल भुगतान खाताधारक के एनआरई/ एफसीएनआर खाते अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के बाहर से प्रेषण द्वारा किया गया हो तथा प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की सच्चाई से संतुष्ट है। ऐसी निधियां, अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों की इच्छा से उनके एनआरआइ/ पीआइओ खाते में भी जमा की जा सकती है।</p>

	<p>6.3 प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यापारी/ आवास वित्तपोषण संस्थाओं से ऋण के रूप में जुटाई गई निधियों से खरीदे गए रिहायशी आवास की बिक्री आय के प्रत्यावर्तन की उस सीमा तक अनुमति दे सकता है जिस सीमा तक उसने ऐसे ऋणों की चुकौती सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त विदेशी आवक प्रेषणों से अथवा अपने एनआरई/ एफसीएनआर खाते के नामे डालकर की है।</p> <p>व्यापक स्तर पर अनिवासी भारतीयों / भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अब ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) को अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के एफसीएनआर(बी)जमा खाते खोलने और उसे बनाए रखने के लिए प्राधिकृत किया है।</p>
<p>7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) को प्राधिकृत करना</p>	<p>प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों और प्राधिकृत बैंकों को भारत के बाहर की तीसरी पार्टियों को एफसीएनआर(बी) जमाराशियों के परिपक्वता आगम के प्रेषण की अनुमति है, बशर्ते लेनदेन के लिए खाताधारक ने विशेष रूप से अनुमति दी है और प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है।</p>
<p>8. एफसीएनआर(बी) जमाराशि की परिपक्वता आगम का प्रत्यावर्तन</p>	<p>प्राधिकृत व्यापारी ,कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना के तहत कंपनियों से शेयर अधिग्रहण करने के लिए भारतीय कंपनियों के अनिवासी कर्मचारियों को रुपया ऋण दे सकते हैं। ऋण योजना बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होनी चाहिए और इसके अलावा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:</p> <p>(i) ऋण राशि शेयरो के खरीद मूल्य के 90 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपए प्रति अनिवासी कर्मचारी जो भी कम हो, से अधिक न हो।</p> <p>(ii) ऐसे ऋणों पर ब्याज दर और मार्जिन समय- समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन बैंकों द्वारा निर्धारित किए जाएं।</p> <p>(iii) बैंक द्वारा राशि सीधे कंपनी को अदा की जाएगी और भारत में उधारकर्ता के अनिवासी खाते में जमा नहीं जाएगी।</p> <p>(iv) उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि की चुकौती आवक प्रेषणों अथवा उसके एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते के नामे डालकर की जाएगी।</p> <p>(v) पूंजी बाजार के जोखिमों की गणना के लिए ऋण को शामिल किया जाएगा और बैंक, पूंजी बाजार के ऐसे जोखिमों के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक (बैंपविवि)द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।</p>
<p>9. अनिवासी भारतीय कर्मचारियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना</p>	

<p>10. विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं</p>	<p>10.1 अध्ययन के लिए विदेश जानेवाले विद्यार्थियों को अनिवासी भारतीय माना जाता है और वे फेमा के अधीन अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सभी सुविधाओं के लिए पात्र हैं।</p> <p>10.2 अनिवासी भारतीयों के रूप में, वे भारत से (i) निर्वाह के लिए स्वयं घोषणा करने पर भारत के नजदीकी रिश्तेदारों से 1,00,000/- अमरीकी डॉलर , जिसमें उसके अध्ययन के लिए प्रेषण भी शामिल है, और (ii)परिसंपत्तियों की बिक्री आय/ भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे गए अपने खातों की शेष राशि से 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक प्रेषण प्राप्त करने के पात्र होंगे।</p> <p>10.3 फेमा के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सभी सुविधाएं विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू हैं।</p> <p>10.4 भारत के निवासी के रूप में उनके द्वारा लिए गए शैक्षिक और अन्य ऋणों की उपलब्धता फेमा के विनियमों के अनुसार बनी रहेगी।</p>
<p>11.आयकर बाकी नहीं</p>	<p>केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं. 10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचनपत्र और सनदी लेखाकार द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी प्रेषण की अनुमति देगा।[नवंबर 26, 2002 का हमारा ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.56 देखें]</p>
<p>12. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड</p>	<p>प्राधिकृत व्यापारी को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बगैर अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। ऐसे लेनदेन का निपटारा आवक प्रेषणों अथवा कार्ड धारकों के विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता/अनिवासी विदेशी / अनिवासी (सामान्य) रुपया खाते में रखे शेष राशि में से किया जाए।</p>

रिज़र्व को सौंपे जानेवाले विवरण/विवरणियां

अनिवासी भारतीयों /भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रियों के लिए
प्रेषण सुविधाओं संबंधी मास्टर परिपत्र

1	अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों और विदेशी राष्ट्रियों को सुविधाएं- उदारीकरण- एनआरओ खाते से प्रेषण	तिमाही	नवंबर 16,2006 का ए.पी (डी आइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 12	
---	---	--------	--	--

अनिवासी भारतीयों /भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रियों के लिए
प्रेषण सुविधाओं संबंधी मास्टर परिपत्र

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश

1.सामान्य	<p>1.1 प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के तहत जारी अधिनियम/विनियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।</p> <p>1.2 विभिन्न लेनदेनों के लिए प्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेजों का निर्धारण रिज़र्व नहीं करेगा।इस संबंध में, प्राधिकृत व्यापारी अधिनियम की धारा10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों का संदर्भ लें।</p> <p>1.3. अधिनियम की धारा10 की उप-धारा उपधारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार , किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के</p>
-----------	---

	<p>पहले, प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से एक घोषणा और अन्य ऐसी सूचनाएं प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त सूचनाएं/दस्तावेजों को रिजर्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखे।</p> <p>1.4 जहां व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो, उसे लिखित रूप में लेनदेन से इंकार किया जाएगा। जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो, वह रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दे।</p> <p>1.5 समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले मांग और दस्तावेजों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।</p>
<p>2. बांग्ला देश/पाकिस्तान की कंपनियों द्वारा खाते खोलना</p>	<p>बांग्ला देश/पाकिस्तानी राष्ट्रियता/ स्वामित्व वाले व्यक्तियों / कंपनियों द्वारा खाते खोलने के लिए भारतीय रिजर्व के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी अनुरोध मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, (विदेशी निवेश प्रभाग), भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 400001 को भेजे जाएं।</p>
<p>3. चालू आय का प्रेषण</p>	<p>3.1 धारक के खाते के भारत में किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण एनआरओ खाते में अनुमत नामे है। प्राधिकृत व्यापारी एनआरओ खाता न रखनेवाले अनिवासी भारतीयों के किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज जैसे चालू आय का भारत में प्रत्यावर्तन की अनुमति, सनदी लेखाकार द्वारा उचित प्रमाणपत्र कि प्रेषित की जानेवाली प्रस्तावित राशि प्रेषण के लिए पात्र है और लागू करों का भुगतान किया गया है/उसका प्रावधान किया गया है, के आधार पर दे सकते हैं।</p> <p>3.2 अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह विकल्प है कि वे अपने अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता में चालू आय को जमा कर सकते हैं</p>

	<p>बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से आश्वस्त है कि जमा अनिवासी खाताधारक की चालू आय है और उस पर आयकर की कटौती की गई है/उसका प्रावधान किया गया है।</p>
<p>4. प्रतिबंध</p>	<p>(क) पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, इरा, नेपाल और भूटान के नागरिकों को अचल संपत्ति की बिक्री आय के संबंध में प्रेषण सुविधा उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(ख) पाकिस्तान, बांग्ला देश, नेपाल और भूटान के नागरिकों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री आय के प्रेषण की सुविधा नहीं है।</p>
<p>5. कर अनुपालन</p>	<p>प्राधिकृत व्यापारी केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अक्टूबर 9, 2002 के परिपत्र सं. 10/2002 द्वारा निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा एक वचनपत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर ही अनिवासियों को प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।</p>

परिशिष्ट

अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी राष्ट्रियों के लिए प्रेषण सुविधा के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्रों की सूची:

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ApCircularsDisplay.aspx

http://www.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx

क्रम सं.	जारी की गई अधिसूचनाएं/ परिपत्र सं.	दिनांक
1	अधिसूचना सं. फेमा 62/2002-आरबी	मई 13, 2002
2	अधिसूचना सं. फेमा 65/2002-आरबी	जून 29, 2002
3	अधिसूचना सं. फेमा 93/2003-आरबी	जून 9, 2003
4	अधिसूचना सं. फेमा 97/2003-आरबी	जुलाई 8, 2003
5	अधिसूचना सं. फेमा 119/2004-आरबी	जून 29, 2004
	अधिसूचना सं. फेमा 152/2007-आरबी	मई 15, 2007
1	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	मई 14, 2002
2	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	जुलाई 2, 2002
3	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	जुलाई 15, 2002
4	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 19	सितंबर 12, 2002
5	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 26	सितंबर 28, 2002
6	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.27	सितंबर 28, 2002
7	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवंबर 1, 2002
8	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 40	नवंबर 5, 2002
9	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 46	नवंबर 12, 2002
10	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 56	नवंबर 26, 2002
11	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 59	दिसंबर 9, 2002
12	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 67	जनवरी 13, 2003
13	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 101	मई 5, 2003
14	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 104	मई 31, 2003
15	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 43	दिसंबर 8, 2003
16	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 45	दिसंबर 8, 2003
17	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 62	जनवरी 31, 2004
18	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 43	मई 13, 2005
19	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 12	नवंबर 16, 2005
0	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 57	मई 186, 2007
21	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 1	जुलाई 5, 2007
22	एपी(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 7	अगस्त 22, 2007

नोट

- प्राधिकृतव्यापारियों की सुविधा के लिए, भारिबैं को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियों की सूची और परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत क्रमशः संलग्नक - 1 और 2 में दिए गए हैं।
- सभी उपयोगकर्ताओं की सूचना के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक नहीं है कि मास्टर परिपत्र सुविस्तृत ही हों और जहां कहीं आवश्यक हो, अधिक सूचना/स्पष्टीकरण के लिए संबंधित ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र का संदर्भ देखें।
